एग्री आर्टिकल्स
(कृषि लेखों के लिए ई-पत्रिका)
वर्ष: 04, अंक: 01 (जनवरी-फरवरी, 2024)
www.agriarticles.com पर ऑनलाइन उपलब्ध
© एग्री आर्टिकल्स, आई. एस. एस. एन.: 2582-9882

किसानो की आमदनी को दोगुना करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुभारंभ

(*विकास कुमार मीणा, डॉ. विक्रम योगी एवं काना राम चौधरी)
कृषि महाविद्यालय, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (राजस्थान)
*संवादी लेखक का ईमेल पता: vikashkumar14111997@gmail.com

खेती भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदण्ड है।जहां एक ओर यह प्रमुख रोजगार प्रदाता क्षेत्र है। भारतीय खेती को मानसून का जुआ कहते हैं ।वर्षा की अनिश्चितताएं एवं वर्षा का असमान वितरण खेती प्रणाली एवं मानव जीवन को प्रभावित करती है संकट की स्थिति को कम करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई थी।प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को पहली बार तेलंगाना सरकार द्वारा रायथु बंधु योजना के रूप में लागू किया गया था बाद में 1 फरवरी 2019 को भारत के 2019 के अंतरिम केंद्रीय बजट के दौरान इस योजना को एक राष्ट्रव्यापी परियोजना के रूप में लागू करने की घोषणा की।देशभर के किसान परिवारों को आय सहायता प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू की गई थी।जहाँ एक निश्चित राशि सीधे पात्र किसानों को दी जाती थी।इस योजना के तहत सभी पात्र किसान परिवारों को तीन समान किश्तों में प्रतिवर्ष 6000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। । इस योजना के तहत सभी छोटे और सीमांत किसानों को तीन किस्तों में प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की आय सहायता प्रदान की जाएगी जो सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जाएगी।

पीएम–किसान योजना के उद्देश्य

किसान के पास खेती करने के लिए पर्याप्त मात्रा में रुपया नहीं होता किसान खेती करने के लिए रुपया लोन लेता है हर समय जलवायु की स्थिति समान नहीं होती कभी–कभी जलवायु की स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण, किसान की हालत खराब हो जाती है, जिसके कारण किसान ऋण नहीं चुकाया जाता है, किसान या गरीब हो जाता है और आत्महत्या कर लेता है। तथा इस समस्या को दूर करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने गरीब समुदायों को ऊपर उठाने ओर सामाजिक और आर्थिक चिंता को दूर करने के लिए लगातार प्रयास किया है। इन समुदायों की मदद के लिए भारत सरकार द्वारा 2018 में पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई थी। ये योजना किसान के लिए एक वरदान के रूप में साबित होगी

- सभी पात्र भूमि धारक किसानों और उनके परिवारों को आय सहायता प्रदान करना।
- पीएम–किसान योजना का उद्देश्य आय के अनुरूप उचित फसल स्वास्थ्य और उचित पैदावार सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न इनपुट खरीदने में किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना है।
- देश भर में सभी छोटे और सीमांत भूमि धारक किसान परिवारों को बुनियादी वित्तीय सहायता प्रदान करना,
- किसानों की आय को दोगुना करने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को पूरा करना

निम्नलिखित श्रेणियां योजना के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे:

- सभी संस्थागत भूमि धारक
- उच्च आर्थिक स्थिति वाले लाभार्थियों
- किसान परिवार जो निम्नलिखित श्रेणियों में से एक या अधिक से संबंधित हैं:

- संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक
- पूर्व और वर्तमान मंत्री राज्य मंत्री और लोकसभा राज्य सभा राज्य विधानसभाओं राज्य विधान परिषदों के पूर्व वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष।
- डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृख्त हैं और अभ्यास करके अपना पेशा चला रहे हैं।

योजना के तहतपात्र किसानों को अपने सत्यापन के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज अनिवार्य है

- नगरिकता प्रमाण पत्र
- जमीन के कागजात
- आधार कार्ड
- बैंक के खाते का विवरण

पीएम–किसान योजना के लाभः

- फंड का सीधा ट्रांसफर इस योजना का सबसे बड़ा फायदा है। 25 दिसंबर 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में 9 करोड़ किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,000 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए